



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22072026-274678
CG-MH-E-22072026-274678

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581]

No. 581]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 17 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 640(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 ए की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना, अर्थात् गुजरात राज्य के जिला कच्छ में सामाखियाली गांधीधाम चौगुनी परियोजना (53.00 किमी) के निष्पादन के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् प्रांत अधिकारी- भचाऊ, जिला कच्छ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों की सुनवाई करने तथा ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा। उक्त अधिनियम की धारा 20(घ) की उपधारा (I) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना के लिए संरचना के साथ या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण: गुजरात राज्य के कच्छ जिले में सामाखियाली गांधीधाम चौगुनी परियोजना (53.00 किमी)।

जिले का नाम: कच्छ

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	ज़मीन का प्रकार	ज़मीन की प्रकृति	अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	भचाऊ	भचाऊ	1094	निजी	गैर-कृषि	4548
2	भचाऊ	भचाऊ	1209/3	सरकारी	गैर-कृषि	55
3	भचाऊ	भचाऊ	1210/1	निजी	कृषि	1191
				कुल ज़मीन (वर्ग मीटर में)		5794

[ई. फा. सं. - 665761]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railways (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 17th July, 2026

G.S.R. 640(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the **Special Railway Project, namely Samakhiali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) in District Kutch** in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (i) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer- Bhachau, District Kutch, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections. Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: **Samakhiali Gandhidham Quadrupling Project (53.00 KM) in District Kutch** in the state of Gujarat.

Name of District: Kutch

Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Type of land	Nature of land	Area of Land to be acquired (in Sqm.)
1	Bhachau	Bhachau	1094	Private	Non Agriculture	4548
2	Bhachau	Bhachau	1209/3	Government	Non Agriculture	55
3	Bhachau	Bhachau	1210/1	Private	Agriculture	1191
Total land in SQM						5794

[E. F. No. -665761]

S.R. PRASAD, Chief Project Manager (Const)-II